



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231316
CG-DL-E-23112021-231316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 347]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

सं. 39/2015—2020

विषय: राजकोषीय वर्ष 2021 हेतु प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत यूएसए को खांड के निर्यात हेतु 303 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एम08/ईसी/खण्ड VIII.—विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा राजकोषीय वर्ष 2021 (1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021) हेतु यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत निर्यात हेतु **303 मीट्रिक टन** खांड की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करते हैं। इस अतिरिक्त आबंटन से राजकोषीय वर्ष 2021 के दौरान टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार होगी:

सार्वजनिक सूचना सं. और तिथि	आबंटित चीनी की मात्रा (मीट्रिक टन)
दिनांक 18.12.2020 की सार्वजनिक सूचना सं. 33/2015—20 के तहत आबंटित मात्रा	8424

आबंटित अतिरिक्त मात्रा	303
कुल आबंटित मात्रा	8727

- टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात अधिसूचना सं. 3/2015-20 दिनांक 20.04.2015 में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है। सार्वजनिक सूचना सं. 33/2015-20 के अनुसार रिपोर्टिंग संबंधी शर्त का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।
- यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।
- इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 31.12.2021 तक निर्यात किए जाने के लिए 303 मीट्रिक टन खांड की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd November, 2021

No. 39/2015-2020

Subject: Allocation of additional quantity of 303 MT for export of raw sugar to USA under Tariff Rate Quota (TRQ) for the Fiscal Year 2021.

F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. VIII.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates an additional quantity of **303 MT** raw sugar for export under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the fiscal year 2021 (October 1, 2020 to December 31, 2021). With this additional allocation, quantity for export of sugar to USA under TRQ for the fiscal year 2021 would be as under: -

Public Notice No. & Date	Quantity of sugar allocated (MT)
Quantity allocated under Public Notice No. 33/2015-20 dated 18.12.2020	8424
Additional Quantity Allocated	303
Total Quantity Allocated	8727

2. Export of sugar (HS Code 17010000) to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015. The reporting requirement as per Public Notice No. 33/2015-20 dated 18.12.2020 would continue to be followed.

3. Certificate of Origin, if required, for export of preferential sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

4. Effect of this Public Notice:

Additional quantity of 303 MT of raw sugar, for export to USA, under TRQ, upto 31.12.2021, has been notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.